

## प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं०

23460

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद.....महाराजगढ़.....उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या ६६० एस० नि० भय०/२०१८

दिनांक ०२-१-१८

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक,

शशिष्य सांघी डिवाइस महाशाला  
पेरिया चम्पापुर  
जनपद महाराजगढ़

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या.....—.....दिनांक २९-६-१८

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध १५ अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये १५०-०० भारतीय स्टेट बैंक शाखा महाराजगढ़ जनपद महाराजगढ़ में चालान संख्या १०३३५३ दिनांक ०२-१-२०१८ द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त १५ अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

- चेकिंग का दिनांक। २९-६-१८
- पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। —
- संस्थान का विवरण। शशिष्य सांघी डिवाइस महाशाला पेरिया चम्पापुर महाराजगढ़
- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। ०५
- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। १५
- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
१-	<u>५० लिटर ए००</u>	<u>०५ ए०</u>	<u>०१</u>	<u>कार्यशील</u>
२-	<u>१०० लिटर ए००</u>	<u>५५ ए०</u>	<u>१२</u>	<u>१</u>
३-	<u>००२ ए००</u>	<u>५५ ए०</u>	<u>०१</u>	<u>१</u>

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होंगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य अग्निशमन अधिकारी.....शशिष्य सांघी.....
- उप निदेशक परिक्षेत्रीय.....महाराजगढ़.....

०२/०१/१८  
(शशिष्य सांघी)  
अग्निशमन अधिकारी  
महाराजगढ़